न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
26/2019	11.07.2019	02.02.2021

उनवान

1. जगमाल पुत्र श्री पांचाराम जाति मीणा निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री अमरसिंह जाति मीणा निवासी अजमेरीपुर तहसील बेहरोड जिला अलवर राजस्थान।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढी अर्न्तगत धारा 111 व 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

: निर्णय :–

दिनांक :– 02.02.2021

उपस्थिति :–

1– श्री बस्तीराम यादव, वकील प्रार्थी

2– श्री भूवनेश तिवाडी, वकील अप्रार्थी

1. यह है कि आराजी हाल ख0 नं0 909/36/2 रकबा 0.13 है0, वाके ग्राम बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जो आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी के कब्जे [illegible] एवं [illegible] की आराजी है। जिस पर प्रार्थी काबिज है। [illegible] की डोल से [illegible] हुये अप्रार्थी सं0 1 की आराजी है। अप्रार्थी मिन प्रार्थी [illegible] पर उतारा है। अप्रार्थी की आराजी ख0 नं0 909/36/1 रकबा [illegible] है0, है। पूर्व में आराजी ख0 नं0 909/36 रकबा 1.79 है0, का था, जिसमें से 1.66 है0, दीगर व्यक्ति को प्रार्थी ने बेचान कर दिया और 13 ऐयर रकबा स्वंय के पास रख लिया दीगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:17:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

आराजी में जाने के लिये रास्ते के लिये रखा गया था। अप्रार्थी केता है, अप्रार्थी ने उक्त रकबा 1.66 हैक्0, दीगर व्यक्ति से खरीद लिया और अब अप्रार्थी की मंशा रही है कि प्रार्थी के नाम शेष 13 ऐयर भी प्रार्थी अप्रार्थी के नाम करा दे तो पूरा ख0 नं0 अप्रार्थी का बन जाये इसलिये अप्रार्थी हर वक्त लडाई व तंग परेशान करता रहता है। एवं धमकी देता है, अपने हिस्से के पैसे लेकर दूर हट जिससे हर रोज का झगडा मिट जायेगा।

3. यह है कि अप्रार्थी ने पूर्व में प्रार्थी की आराजी में विधुत ट्रांसफार्मर लगाना चाहता था तो प्रार्थी ने दावा दायर कर,स्थगन आदेश अदालत श्रीमान से जारी कराया और अप्रार्थी व विधुत विभाग को पांबद किया गया कि प्रार्थी की आराजी में ट्रांसफार्मर ना लगावे लेकिन उसके बाद भी विधुत ट्रांसफार्मर प्रार्थी की आराजी में लगा दिया इस पर प्रार्थी ने हुक्मउदूली का प्रार्थना पत्र लगाया तो अब अप्रार्थी उक्त डोल को मिसमार कर पत्थर गढी को उखाड कर डोल को ट्रांसफार्मर को अपनी आराजी में मिलाकर डोल बना दी ताकि ऐसा लगे कि ट्रांसफार्मर अप्रार्थी की आराजी में लगा हुआ है। यदि प्रार्थी को शक हो तो पैमाईश करा ले इस तर्क के सहारे हुक्मउदूली से बचने के लिये अप्रार्थी ने दिनांक 03/06/2019 को पत्थर गढी को उखाड दिया व डोल को मिसमार कर दी और मौके से पत्थर गायब कर दिये है।

4. यह है कि पूर्व में आराजी की पैमाईस करायी गयी थी जो रिपोर्ट दिनांक 12/10/18 को पटवारी हल्का द्वारा पैमाईस कर तैयार की गयी थी। दिनांक 12/10/18 को पटवारी हल्का द्वारा की गयी पैमाईस से दोनो पक्ष सहमत थे, और उनके द्वारा पैमाईस के निशानात को मानकर दोनो पक्षों ने सहमति से पत्थर गाढ दिये और जिसकी लिखा पढी साधारण कागज पर लिखकर दोनो पक्षों व गवाहन ने हस्ताक्षर किये है। परन्तू अब इस पत्थर गढी को भी अप्रार्थी ने उखाड दिया है।

वादीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि आराजी मुतनाजा ख0 नं0 909/36/2 रकबा 0.13 हैक्0, वाके ग्राम बधीन तहसील मुण्डावर की पैमाईस उभयपक्ष की मौजूदगी में करायी जाकर पत्थर गढी करायी जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी जवाब पेश नही किया। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में मौका पर्चा दिनांक 12.10.2018, प्रार्थना पत्र, जमाबन्दी सम्वत 2069–72 पेश किये है जो शामिल मिसल है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी की पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली की गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण के द्वारा खरीदशुदा होने जाने की स्थिति प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:17:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि एक माह में विवादित आराजी की समस्त काश्तकारो की उपस्थिति में पुनः पैमाईश कर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

2/2/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:17:47 IST
Reason: SelfAttested